मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

**पीठासीन अधिकारी :—उमा मित्तल** आर.ए.एस.

**राजस्व वाद संख्या :—** 218 / 2021

1. सूर्यप्रकाश पुत्र मेघराज जाति स्वामी साकिन वार्ड न. 30 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगागनर राजस्थान।

......वादी......

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र मेघराज जाति स्वामी साकिन वार्ड न. 30 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगागनर राजस्थान।
2. औमप्रकाश पुत्र मेघराज जाति स्वामी साकिन वार्ड न. 30 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगागनर राजस्थान।
3. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

...प्रतिवादीगण...

## दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

## डिक्री

**दिनांक :—** 28/10/2025

वादीगण की ओर से श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री रामस्वरूप तावंणिया अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की **88,188** के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार खाता विभाजन कर विनियम की घोषणा की जाती है कि —
**चक 1 एन एम खाता सं. 33 का प. न. 28/358 मु.न. 20 कि.न. 24/2/0.1520, 25/210.2280 की कुल 0.3800 है. कमाण्ड कृषि भूमि वादी सूर्यप्रकाश पुत्र मेघराज जाति स्वामी साकिन वार्ड न. 30 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगागनर राजस्थान को खातेदार कश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पीलीबंगा खाता राजस्व रिकार्ड में अलग कायम कर रकम राज अलग कायम की करे।**

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना न होने व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग खाता कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्ववत ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 28/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 17:26:35 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा